



प्रेस नोट

थाना - गढमुक्तेश्वर

दिनांक 03-07-2024

- थाना गढमुक्तेश्वर पुलिस टीम ने चैकिंग के दौरान 02 अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार ।
- जिनके कब्जे से करीब 100 किलोग्राम अवैध गांजा (कीमत लगभग 15 लाख रुपये) व गांजा तस्करी में प्रयुक्त लग्जरी कार बरामद ।
- गिरफ्तार अभियुक्तगण अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उड़ीसा राज्य से अवैध गांजा तस्करी कर उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों एवं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सप्लाई कर आर्थिक लाभ कमाते थे ।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना गढमुक्तेश्वर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से करीब 100 किलोग्राम अवैध गांजा (कीमत लगभग 15 लाख रुपये) व गांजा तस्करी में प्रयुक्त लग्जरी कार बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढमुक्तेश्वर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक- दौताई नहर पुलिया के पास व दिनांक 03.07.2024

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. बोबी पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम मौहम्मदपुर थाना दौराला जनपद मेरठ ।
2. अनुज उर्फ भोला पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी ग्राम दतियांना थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर ।

बरामदगी का विवरण:-

1. 100 किलोग्राम अवैध गांजा (कीमत लगभग 15 लाख रुपये) ।
2. गांजा तस्करी में प्रयुक्त स्कोडा रैपिड कार रजि0न0 DL8 CX 5222

गिरफ्तार अभियुक्त बोबी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 588/2015 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना दौराला जनपद मेरठ ।

2. मु0अ0सं0 104/2016 धारा 420 भादवि व 60,62 आबकारी अधिनियम थाना दौराला जनपद मेरठ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रविकान्त गिरि, थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
2. उ0नि0 इन्द्रकान्त यादव थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
3. उ0नि0 लोकेन्द्र सिंह थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
4. है0का0 307 कंचन सिंह थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
5. है0का0 707 विनोद कुमार थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
6. है0का0 162 संजय सिंह थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
7. है0का0 297 रवि सिंह थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।
8. का0 213 अक्षय कुमार थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड ।